School of Economics

Class – B.A.(H) – VIth sem.

Sub. – Macro Economics

Teacher – Dr. Dharmendra Singh

Topic's – Banking System. (Central Banking)

Unit No. – 03

Schedule

15.4.2020 – केन्द्रीय बैंक से आशय एवं कार्य (सामान्य कार्य)

16.4.2020 – केन्द्रीय बैंक एवं साख नियंत्रण (उद्देश्य एवं रीतियाँ)

17.4.2020 – बैंक दर (आशय, सफलता, सीमाएँ)

18.4.2020 – उन्मुक्त साख का नियमन, साख राशनिंग

19.4.2020 – नैतिक प्रेरणाएँ, प्रत्यक्ष कार्यवाही

20.4.2020 – गुणात्मक साख नियंत्रण की सीमाएँ

21.4.2020 – विकासशील अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य

29

केन्द्रीय बैंकिंग
(Central Banking)

केन्द्रीय बैंक एक देश की मौद्रिक प्रणाली में शिखर की संस्था है। एक देश की केन्द्रीय बैंक का मूल कार्य देश के किसी भी पड़ाव पर यह है कि मौद्रिक प्रणाली का प्रबन्ध इस प्रकार से किया जाये कि आर्थिक क्रिया को ऊँचे स्तर पर बनाये रखा जा सके जिस पर उपलब्ध उत्पादन साधनों का सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सके। इंग्लैंड में केन्द्रीय बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे फैडरल रिज़र्व सिस्टम कहा जाता है। भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया (Reserve Bank of India) देश की केन्द्रीय बैंक है।

29.1. केन्द्रीय बैंक का अर्थ (Meaning of Central Bank)

एक देश की केन्द्रीय बैंक को देश की मौद्रिक प्रणाली पर नियन्त्रण करना होता है। इसकी देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढ़ांचे में स्थिति धुरी के समान है। यह मुद्रा बाज़ार का नेतृत्व करता है और यह पूरी मौद्रिक प्रणाली के निरीक्षण, नियन्त्रण और विनियमन के बहुत से कार्य करता है। आर. पी. कैन्ट (R.P. Kent) ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह "ऐसी संस्था है जिसकी ज़िम्मेदारी लोगों के सामान्य कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार और संकुचन का प्रबन्धन करना है।"[1] डी.सी. रोवन (D.C. Rowan) के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो प्रायः परन्तु सदा सरकार के स्वामित्व में नहीं होता और जो सरकार की मौद्रिक नीति को चलाने का महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य पूरा करता है।"[2] केन्द्रीय बैंक के एक या अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने इसकी कई परिभाषायें की हैं। शॉ (Shaw) के अनुसार, "केन्द्रीय बैंक का एक सच्चा और साथ ही पर्याप्त कार्य साख का नियन्त्रण करना है।" हॉट्रे (Hawtrey) का कथन है कि यह एक ऐसी संस्था है जो 'अन्तिम ऋणदाता' (lender of the last resort) का कार्य करती है। वेरा स्मिथ (Vera Smith) का यह विचार है कि यह "एक बैंकिंग प्रणाली है जिसमें एक अकेले बैंक को नोट जारी करने का या तो पूर्ण या फिर आंशिक एकाधिकार होता है।" इसी प्रकार डब्लयू. ए. किश (W.A. Kisch) और सी. एच. एल्किन (C.H. Elkin) यह मानते हैं कि केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जिसका कर्त्तव्य मौद्रिक मान की स्थिरता को बनाये रखना है।

केन्द्रीय बैंक की विभिन्न परिभाषाओं में से एम.एच. डिकॉक (M.H. Dekock) द्वारा दी गई परिभाषा अधिक सम्पूर्ण है। इसके अनुसार केन्द्रीय बैंक "वह बैंक है जो एक देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढ़ांचे का शिखर है और जो राष्ट्रीय हित में जितना अच्छा हो सकता है निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है—

(i) व्यापार और सामान्य जनता की आवश्यकताओं के अनुसार करंसी का विनियमन करना। इस कार्य के लिए इसे नोट जारी करने का या तो पूरा या आंशिक अधिकार दिया जाता है।

(ii) सरकार के लिए सामान्य बैंकिंग और एजेंसी सेवायें उपलब्ध कराना।

(iii) व्यापारिक बैंकों के नकदी-रिज़र्वों की रखवाली करना।

(iv) राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय करंसी की रखवाली और प्रबन्धन करना।

1. R.P. Kent : *Money and Banking* (1921), P.351.
2. D.C. Rowan : *Output, Inflation and Growth* (1961), P. 297.

(v) व्यापारिक बैंकों, हुण्डी दलालों, व्यापारियों और अन्य वित्त संस्थाओं को संपार्श्विक (collateral) ऋणों तथा पुनर्बट्टे के रूप में सहायता प्रदान करना और अन्तिम ऋणदाता की जिम्मेदारी को सामान्यतया स्वीकार करना।

(vi) बैंकों के समाशोधित शेषों (clearance balances) का निर्णय करना।

(vii) व्यापार की आवश्यकताओं और राज्य द्वारा अपनायी गई व्यापक मौद्रिक नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप साख पर नियन्त्रण करना।''

केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में भेद (Distinction between central bank and commercial banks) : व्यापारिक बैंकों और केन्द्रीय बैंक में भेद निम्नलिखित बातों के आधार पर किया जा सकता है—

(i) व्यापारिक बैंकों का लेन-देन सीधे आम जनता के साथ है। केन्द्रीय बैंक का लेन-देन व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्त संस्थाओं के साथ होता है। इस प्रकार आम जनता के साथ केन्द्रीय बैंक का लेन-देन अप्रत्यक्ष (indirect) होता है।

(ii) व्यापारिक बैंक आम लोगों से जमायें प्राप्त करते हैं और उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्त संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाते हैं।

(iii) व्यापारिक बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाना है।

(iv) केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का पूर्ण या आंशिक अधिकार होता है। व्यापारिक बैंकों को ऐसा अधिकार नहीं होता।

(v) व्यापारिक बैंक देश में अधिक या कम संख्या में पाये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक केवल एक ही होता है।

29.2. केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of Central Bank)

केन्द्रीय बैंक मुद्रा बाजार की शिखर की संस्था होती है। एक आर्थिक प्रणाली की स्थिरता और विकास मुख्य रूप से उन कार्यों की शक्ति और विस्तार (range) पर निर्भर हैं जो केन्द्रीय बैंक के द्वारा किये जाते हैं। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों में इस बात के सम्बन्ध में [illegible] मतभेद हैं कि केन्द्रीय बैंक को क्या कार्य करने [illegible] डीकॉक (De Kock) के अनुसार केन्द्रीय बैंक के [illegible] कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) नोट जारी करने वाला बैंक (Bank of [illegible] issue) : प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक को नोट जारी [illegible] का एकमात्र अधिकार होता है। किसी व्यापारिक बैंक [illegible] नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह केन्द्रीय बैंक का इतना महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है कि 20वीं शताब्दी [illegible] आरम्भ तक वे नोट जारी करने वाले बैंकों के रूप में [illegible] जाते थे। केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार निम्नलिखित कारणों से दिया गया है—

(i) केन्द्रीय बैंक के नोट जारी करने के एकाधिकार के फलस्वरूप केन्द्रीय बैंक देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रख सकता है और वह व्यापारिक बैंकों द्वारा साख के अनुचित और अत्यधिक विस्तार [illegible] रोक लगा सकता है।

(ii) नोट जारी करने के अधिकार के केन्द्रीय बैंक में केन्द्रित होने से जारी की गई करंसी को विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

(iii) इससे सरकार द्वारा नोट जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितताओं और कुरीतियों पर प्रभावपूर्ण निगरानी रखी जा सकती है।

(iv) केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने के एकाधिकार से सारे देश में मुद्रा की एकरूपता सम्भव हो सकती है।

(v) यह नोट जारी करने की प्रणाली को आवश्यक लचक प्रदान करता है।

इस प्रकार स्थिरता (stability), सुरक्षा (safety), एकरूपता (uniformity) और लचक (elasticity) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। पर अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट जारी करने के एकाधिकार को सन्देह की दृष्टि से देखता है। वे यह सुझाव देते हैं कि नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को प्राप्त होना चाहिए। परन्तु सरकार को नोट जारी करने के एकाधिकार में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—

(i) पूर्ण अंकित मूल्य की कागजी करंसी को [illegible]

जारी करने में कई आवश्यक शर्तें हैं जिसे सरकार रूप से पूरा नहीं कर सकती।

(ii) यदि सरकार को नोट जारी करने का एकाधिकार हो तो इससे सरकार द्वारा बार-बार करंसी के मूल्य ह्रास करने की सम्भावना हो सकती है।

(iii) नोट जारी करने का एकाधिकार सरकार को प्राप्त होने की स्थिति में नोटों के आवश्यकता से अधिक जारी करने का खतरा है।

(iv) सरकार द्वारा नोट जारी करने में आर्थिक आवश्यकताओं की बजाय राजनैतिक आवश्यकताओं को अधिक महत्त्व दिया जायेगा।

(v) आर्थिक क्रिया पर केन्द्रीय बैंक को निगरानी, नियन्त्रण और विनियमन करना होता है। इसलिए आवश्यक है कि नोट जारी करने का अधिकार सरकार को नहीं केन्द्रीय बैंक को दिया जाना चाहिए।

भारत में एक रुपये के नोट और सिक्के और छोटे मूल्य के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। किन्तु सभी नोटों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त है। इस सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक न्यूनतम रिज़र्व प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। यह 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम रिज़र्व, जिसमें 115 करोड़ रुपये का सोना और 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियां शामिल है, के आधार पर किसी भी सीमा तक करंसी जारी कर सकता है।

(2) सरकार का बैंक (Banker of the State): केन्द्रीय बैंक देश की सरकार के बैंकर, राजकोषीय एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंकर (banker) के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकार और इसके उपखण्डों के बैंक खाते रखता है और सरकार को वही सेवायें प्रदान करता है जो एक साधारण व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को देता है। वह सरकार की जमाओं और निकासियों (withdrawls) में सहायता करता है। वह सरकार की कर-प्राप्तियों अथवा सरकारी ऋणों से प्राप्तियों से पहले ही सरकार को अल्पकालीन ऋण देता है। मन्दी, युद्ध अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों में केन्द्रीय बैंक सामान्य से अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार को विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए या वस्तुओं को खरीद करने और विदेशों को इसका भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है। यह सरकार को विदेशी ऋणों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की खरीद करके भी महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। केन्द्रीय बैंक को ये बैंकिंग कार्य इस उद्देश्य से करने पड़ते हैं कि देश के मौद्रिक मामलों और राजवित्त में पैदा होने वाले असन्तुलनों को दूर किया जा सके।

सरकार के *राजकोषीय एजेंट* (fiscal agent) के रूप में सरकार की ओर से नये ऋण और ट्रैज़री बिल जारी करने और सार्वजनिक ऋणों के प्रबन्ध का कार्य केन्द्रीय बैंक को दिया जाता है। यह सरकार की अनबिकी प्रतिभूतियों की बिक्री की जिम्मेदारी लेता है। सरकार के खाते में लोगों से करों की प्राप्तियों को जमा करना या उसमें से भुगतान करने का कार्य भी केन्द्रीय बैंक करती है। सरकार के *सलाहकार* (adviser) के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकार को विदेशी मुद्रा, व्यापार, करंसी, घाटे की वित्त व्यवस्था, उत्पादन, निवेश और कीमतों आदि विषयों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों में केन्द्रीय बैंक देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार देश के आर्थिक प्रशासन में केन्द्रीय बैंक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

(3) नकदी रिज़र्व का रखवाला (Custodian of cash reserves) : केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के नकदी रिज़र्व का भंडार है। व्यापारिक बैंक अपनी मांग जमाओं और सावधि जमाओं (time deposits) का कुछ अनुपात केन्द्रीय बैंक के पास रखते हैं। इन जमाओं के आधार पर व्यस्त व्यावसायिक क्रिया के समय में वे उससे वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। नकदी रिज़र्व को सर्वोच्च बैंकिंग संस्था के पास केन्द्रीयकृत करने से अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभ प्राप्त होते हैं—

(i) जनता का अधिक विश्वास (Greater public confidence) : रिज़र्वों के केन्द्रीयकरण से बैंकिंग प्रणाली का ढ़ांचा अधिक मज़बूत हो जाता है। इसके फलस्वरूप आम जनता में बैंकिंग संस्थाओं की शक्ति और स्थिरता में अधिक विश्वास पैदा होता है।

(ii) लोचपूर्ण साख ढ़ांचा (Elastic credit structure) : जब सभी व्यापारिक बैंकों के संसाधनों को एक केन्द्रीय संस्था में इकट्ठा कर दिया जाता है तो साख का ढ़ांचा बहुत अधिक लोचपूर्ण बन जाता है और उपलब्ध

निधियों (funds) को पूर्णतया और सर्वाधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करना सम्भव हो जाता है।

(iii) अधिक तरलता (Greater liquidity) : केन्द्रीयकृत नकदी रिज़र्व के आधार पर व्यापारिक बैंक अपनी अस्थायी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय बैंक से अतिरिक्त निधियां प्राप्त कर सकते हैं जिससे तरलता में वृद्धि होती है।

(iv) नकदी की बचत (Economy of cash) : केन्द्रीय बैंक के पास जमाओं को इकट्ठा करने से संसाधनों की बचत होती है। केन्द्रीयकृत नकदी रिज़र्व के अभाव में व्यापारिक बैंकों को अपनी अस्थाई कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने पास काफी बड़ी मात्रा में रकमों को जमा रखना आवश्यक होगा।

(v) प्रभावपूर्ण नियन्त्रण (Effective control) : नकदी रिज़र्व को अपने पास जमा रखकर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की साख नीतियों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण भी रख सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक के पास नकदी रिज़र्व के केन्द्रीयकरण से देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढ़ांचे को अधिक बचत, तरलता, स्थिरता और लोचशीलता प्राप्त होती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय करंसी रिज़र्व का रखवाला (Custodian of international currency reserves) : केन्द्रीय बैंक का यह कार्य भी है कि उसे देश की करंसी के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना होता है और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का सन्तुलन बनाना होता है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करने के लिए केन्द्रीय बैंक अपने पास सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार रखते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक एक देश के अन्तर्राष्ट्रीय करंसी रिज़र्व का रखवाला बन जाता है।

(5) अन्तिम ऋणदाता (Lender of the last resort) : केन्द्रीय बैंक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि यह सारी अर्थव्यवस्था के लिए अन्तिम ऋणदाता है। केन्द्रीय बैंक के नोट जारी करने का एकाधिकार होने और इसके व्यापारिक बैंकों के नकदी रिज़र्व का रखवाला होने के कारण यह अन्तिम ऋणदाता की महत्त्वपूर्ण स्थिति में है। इस स्थिति में साख की उपयुक्त शर्तों के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों, डिसकाऊंट घरों और अन्य साख संस्थाओं की उचित ऋण की मांग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पूरा करने का प्रयत्न करता है। केन्द्रीय बैंक का कार्य इसके पुनर्बट्टे (rediscounting) के कार्य से [illegible] है। एम. एच. डिकॉक ने बताया है कि केन्द्रीय बैंक [illegible] अन्तिम ऋणदाता के कार्य से देश के पूरे साख ढांचे [illegible] अधिक तरलता और लोचशीलता प्राप्त होती है। [illegible] काफी बड़ी हद तक नकदी रिज़र्व के प्रयोग में काफी [illegible] होती है।

(6) केन्द्रीय समाशोधन, निपटारा और हस्तांतरण [illegible] बैंक (Bank of central clearance, settle-[illegible] and transfer) : केन्द्रीय बैंक के नकदी रिज़र्व का [illegible] होने के कारण इसे मुद्रा बाज़ार के प्रशासन और [illegible] का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य भी करना पड़ता है। यह [illegible] बैंकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय समाशोधन, निपटारे तथा [illegible] का कार्य करता है। सभी व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक [illegible] पास नकदी रिज़र्व रखते हैं। इससे केन्द्रीय बैंक के [illegible] एक बैंक के दूसरे के विरुद्ध दावों (claims) का निपटा [illegible] किया जा सकता है। केन्द्रीय बैंक के लिए समाशोधन (clearance) और निपटारा केवल मात्र लेखों में [illegible] समंजन (adjustments) करने की बात है। केन्द्रीय बैंक के समाशोधन, निपटारा और हस्तांतरण के कार्यों का [illegible] विलिस (Willis) ने इन शब्दों से प्रकट किया है, "[illegible] केवल नकदी और पूंजी की बचत करने का साधन [illegible] बल्कि यह एक विशेष समय पर समुदाय द्वारा तरलता [illegible] दर्जे के परीक्षण का भी साधन है।"

(7) साख का नियन्त्रक (Controller of credit) : केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य साख [illegible] नियन्त्रण करना है। कोई इस बात से इन्कार नहीं [illegible] सकता कि साख का आर्थिक जीवन पर बहुत महत्त्व[illegible] प्रभाव होता है। यदि साख की मात्रा में बेरोक-टोक [illegible] परिवर्तन किये जाते हैं तो इससे व्यापारिक उतार-चढ़ाव [illegible] पैदा होते हैं जो कीमतों, निवेश, उत्पादन और रोज़गार [illegible] अस्थिरता पैदा करने वाले प्रभाव डालते हैं। यदि व्यापारिक बैंकों को मनमाने ढंगों से साख फैलाने दिया जाता है [illegible] उनका यह बहुत झुकाव होगा कि वे उद्योग और व्यापार [illegible] की सही आवश्यकताओं से काफी अधिक साख का फैलाव [illegible] कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में व्यापारिक बैंक अपने लाभ [illegible] को अधिकतम करने के उद्देश्य से आर्थिक स्थिरता के [illegible] उद्देश्य को दूर फैंक देंगे। केवल जब केन्द्रीय बैंक साख पर [illegible] नियन्त्रण करता है तो साख के अति-विस्तार या अति-